उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्याः 2/2022/413/35-1-2022-7-331/ज0नि0प्र0/2019

लखनऊः दिनांकः 02 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के पत्र संख्या- आर0410/सी0एम02/2019 दिनांक 18.10.2019 के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के आधार नम्बर के फीडिंग एवं वैलीडेशन का कार्य सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यथासम्भव सभी लाभार्थियों के आधार प्राप्त किये जायें परन्तु किसी भी दशा में किसी भी लाभार्थी को आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित न किया जाये वरन विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास कर उनके आधार नम्बर जारी करवाना भी सुनिश्चित किया जाये। आधार नम्बर का प्रयोग कर डुप्लीकेसी चिन्हित कर उसे हटाते हुये प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली योजना का विवरण प्राप्त कर लिया जाये। इस कार्य हेतु नियोजन विभाग को नोडल विभाग नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04 अगस्त, 2020 को प्रदेश के लाभार्थियों के कामन डेटाबेस तैयार किये जाने के सम्बन्ध में ड्राफ्ट Expression of Interest (ई0ओ0आई0) पर विचार-विमर्श हेतु सम्पन्न राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या- 12/7-331/ज0नि0प्र0/2019 दिनांक 07 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदेश स्तर पर लाभार्थियों का कामन डेटाबेस तैयार किये जाने के पूर्व 05 जनपदों यथा- गोरखपुर, मुरादाबाद, सोनभद्र, चित्रकूट एवं श्रावस्ती में निःशुल्क पायलेट प्रोजेक्ट किये जाने हेतु ड्राफ्ट ई0ओ0आई0 में एजेंसियों/संस्थाओं के सेलेक्शन क्राईटेरिया का निर्धारण करने तथा ई0ओ0आई0 के उपरान्त उक्त 05 जनपदों में Proof of Concept (पी0ओ0सी0) करने के लिये एजेंसियों/संस्थाओं के चयन के लिये नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 97/2020/340/35-1-2020-7-331/ज0नि0प्र0/2019 दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ई-निविदा समिति का गठन किया गया था। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 75/2020/488/35-1-2020-7-331/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-1 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 एवं 9/2021/796/35-1-2021-7-331/ज0नि0प्र0/2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 जारी किया गया था। ई-निविदा समिति में पुनः संशोधन निम्नवत् किया जाता है:-

1- सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन- अध्यक्ष।

2- सचिव, खनन विभाग, उ0प्र0 शासन- सदस्य।

3- विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन- सदस्य।

4- प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इंडिया लि0- सदस्य।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा शासन स्तर से नामित प्रतिनिधि- सदस्य।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग द्वारा शासन स्तर से नामित प्रतिनिधि- सदस्य।

7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा शासन स्तर से नामित प्रतिनिधि- सदस्य।

8- उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि- विशेष आमंत्री सदस्य।

9- एन0आई0सी0, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि- विशेष आमंत्री सदस्य।

10- हेड, स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य।

11- आई0आई0टी0 कानपुर से नामित प्रतिनिधि- विशेष आमंत्री सदस्य।

क्रमशः... 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 9/2021/796/35-1-2021-7-331/ज0नि0प्र0/2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

संख्याः 2/2022/413(1)/35-1-2022-7-331/ज0नि0प्र0/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/खाद्य एवं रसद/आई0टी0, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव एवं प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, खनन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- विशेष सचिव (श्री आर0एन0एस0 यादव), नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर।
9- उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इंडिया लि0।
11- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
12- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
13- हेड, स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम, उ0प्र0।

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।